न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारीः— मूल चन्द आर.ए.एस

अपील सख्या 2015/00059 (23/2015)

सुनीलकुमार पुत्र श्री देवीलाल जाति जाट नि0 धीगंतानिया तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

——अपीलांट

बनाम

1. संजयकुमार पुत्र जसवन्तसिंह जाति जाट नि0 धीगंतानिया तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
2. नरेन्द्रकुमार पुत्र जसवन्तसिंह जाति जाट नि0 धीगंतानिया तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

..... रेस्पोडैन्ट/वादीगण

3. सुमनलता पुत्री जसवन्त जाति जाट नि0 धीगंतानिया तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
4. शर्मिला पुत्री जसवन्त जाति जाट नि0 धीगंतानिया तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
5. ज्सघंतसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट नि0 धीगंतानिया तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
6. कलावती पत्नि बलजिन्द्रसिंह जाति जाट नि0 10 के आर डब्लयु तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
7. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

——रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, संगरिया दिनांक 24.03.2015

प्रकरण संख्या 63/2015

उपस्थितिः—

श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक अपीलांट

श्री मोहनलाल मुंजाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1

श्री खुशकरण खोसा, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील प्राधिकारी

निर्णय दिनांकः– 31.01.2019

1. संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने रेस्पोडैन्ट सं0 2 से 6 के विरूद्व एक वाद न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी संगरिया के समक्ष अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि चक 11 के एस डी मं कुल 38.762 हैक्टयर कृषि भूमि सांझा खाता में है जिसमें प्रतिवादी नं0 3 जसवंत सिंह 1.265 है0, प्रतिवादी संख 4 कलावती 4.644 हैक्टयर भूमि दर्ज है, वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज भूमि का परित्याग प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में किया हुआ है, उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है, उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीगण का पैदाईशी हक है अतः वादीगण को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया व प्रतिवादी संख्या 3 ने उपस्थित होकर इकबालदावा प्रस्तुत किया।

2. अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.03.2015 को वादीगण/रेस्पो0सं0 1 व 2 का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र के साथ बतौर तृतीय पक्षकार यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद–पत्र में वादीगण द्वारा प्रतिवादी जसवंत सिंह व प्रतिवादी कलावती के नाम दर्ज भूमि की हद तक खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया था जो बाद राजीनामा तस्दीक कर व साक्ष्य ली जाकर वादीगण को दिया गया है। प्रश्नगत् भूमि मुश्तरका खाता की भूमि है, प्रतिवादी जसवन्त सिंह व कलावती की भूमि में अपीलांट का कोई हक हित नही है। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत् भूमि जरिये इकरारनामा जसवंत सिंह से खरीद होने के कथन करते हुए उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जबकि इकरारनामा में बैयनामा करवाने की तारीख 15.12.2013 अंकित है व इकरारनामा की पालना हेतू वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

सिविल न्यायालय में कोई दावा प्रस्तुत नही किया गया है, राजस्व न्यायालय को इकरारनामा के आधार पर सुनवाई की अधिकारीता नही है। अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से प्रभावित नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद–पत्र की पूर्ण जांच कर व राजीनामा प्रस्तुत होने पर साक्ष्य ली जाकर वाद डिक्री किया गया है जो पूर्णतयः सही है। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आर आर टी 2018 (1) पेज 780 व पेज 610 पर प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की प्रतियां प्रस्तुत की।

6. पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया व विद्वाव अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्यनन किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा चक 11 के एस डी की साझा खाता में दर्ज 38.762 हैक्टयर "जिसमें रेस्पोडैन्ट जसवंतसिंह का 1.265 है व रेस्पोडैन्ट कलावती का 4.644 हैक्टयर भूमि का हक व हिस्सा है" की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया है। अपीलांट द्वारा यह अपील अपीलाधीन डिक्री के विरूद्व स्वयं को प्रभावित व पीडित होने के कथन कर धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत की है व प्रभावित व पीडित होने के आधार यह अंकित किये हैं कि प्रतिवादी जसवंत सिंह अपने नाम दर्ज प्रश्नगत 1.265 हैक्टयर भूमि को विक्रय करने का अनुबन्ध अपीलांट से किया हुआ है व विक्रय अनुबन्ध को व्यग्र करने के उद्देश्य से अपीलाधीन डिक्री प्राप्त की है व इस डिक्री से अपीलांट विपरीत रूप से प्रभावित है तथा अपने प्रार्थना–पत्र के साथ इकरारनामा दिनांक 13.03.2013 की चित्रप्रति प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति इकरारनामा में बैयनामा करवाने की तारीख 15.12.2013 मुर्करर होना दर्शित है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज इकरारनामा से अगर अपीलांट को कोई अधिकार हासिल है तो अपीलांट इकरारनामा की विर्निदिष्ट पालना हेतू सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम है, इसके अलावा अपीलांट द्वारा मौजूदा प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अपीलांट ने प्रस्तुत इकरारनामा के आधार पर उसके सिविल न्यायालय में कोई कार्यवाही की है, अगर की है तो उसका क्या परिणाम रहा। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री से अपीलांट किसी भी प्रकार से प्रभावित होना स्पष्ट नही है व अपीलांट यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नही होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार होने योग्य पाई जाती है।

8. अतः यह अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.03.2015 यथावत् रखे जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2019 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

31/1/19

(मूलचन्द)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official